न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 80 / 2024

1. आत्माराम पुत्र सुरजाराम, जाति मेघवाल, साकिन पण्डितावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

2. किशोरीलाल	पिसरान हेतराम, अकवामे मेघवाल,
3. नरसीराम	साकिनान पण्डितावाली.
4. बिरबलराम	तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
5. बनवारी पुत्र मन्साराम	अकवामें मेघवाल, साकिनान पण्डितावाली,
6. रामकुमार पुत्र मन्साराम	तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कुलदीप पुत्र बनवारीलाल	जाति जाट
2. कालूराम पुत्र देवीलाल	साकिन पण्डितावाली
3. गोमती पत्नी बनवारीलाल	तहसील पीलीबंगा
4. नत्थूराम गोदारा पुत्र देवीलाल	जिला हनुमानगढ़।
5. नन्दराम पुत्र श्योकरण	
6. नाथी पुत्री देवीलाल	
7. पृथ्वीराज पुत्र देवीलाल	
8. महावीरप्रसाद गोदारा पुत्र देवीलाल	
9. राकेश पुत्र नन्दराम	
10. संदीप पुत्र बनवारीलाल	
11. सरस्वती देवी पत्नी देवीलाल	
12. हंसराज पुत्र नन्दराम	

13. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) **पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला** हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.08.21 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

14. कमला देवी पुत्री मन्शाराम
15. रामस्वरूप पुत्र मन्शाराम अकवामे मेघवाल, साकिन पण्डितावाली
16. विमला देवी पुत्री मन्शाराम तहसील पीलीबंगा,
17. सावित्री पुत्री मन्शाराम जिला हनुमानगढ़।
18. सोमा देवी पुत्री मन्शाराम

तरतीबी अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री अशोक गुडेसर — प्रार्थीगण
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — अप्रार्थी संख्या 2,3,4,6,7,8 व 11
3. श्री पवन डेनवाल — तरतीबी अप्रार्थीगण
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 13

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 9/12/25

.....

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री अशोक गुडेसर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र बाबत् चक 37 एनडीआर के प.न. 89/354 (34) के किला न. 1, 10, 11 प्रत्येक किला में 0.013 हैक. पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करने बाबत । प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं।

यह कि प्रार्थी स.1 के नाम की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के खाता स.4/2 के प.नं. 89/352 (24) के किला न. 6, 15 की 0.506 हैक. व प.न. 89/354 (34) के किला न. 16, 17, 25 की 0.759 हैक. इस प्रकार दोनो पत्थरों की कुल 1.265 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रार्थीगण स.2 ता 4 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के खाता स.34/34 के प.न. 88/354 (33) के किला न. 25 की 0.253 हैक. व प.न. 89/354 (34) के किला न. 21 ता 24 की 1.012 है. इस प्रकार दोनो पत्थरों की कुल 1.265 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं प्रार्थीगण स.5, 6 व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम सयुक्त खाता के तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के खाता स.38/38 के प.न. 89/352 (24) के किला न. 13, 14 की 0.506 हैक. व प.न. 89/354 (34) के किला न. 18 ता 20 की 0.759 हैक. इस प्रकार दोनो पत्थरों की कुल 1.265 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थीगण के नाम से सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के खाता स.12/24 के प.न. 89/353 (25) के किला न. 16 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 2412, 25/2 की 2.405 हैक. व प.न. 89/354(34) के किला न. 1 ता 15 की 3.795 हैक. इस प्रकार दोनो पत्थरों की कुल 6.200 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसकी जमाबंदी की प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की मद स.2 में वर्णित कृषि भूमि के प.न. 89/354 (34) के किला न. 16 ता 25 की 2रू024 हैक. में आने—जाने हेतू अप्रार्थी स. 1 ता 12 के नाम प्रार्थना पत्र की मद स.3 में वर्णित कृषि भूमि के प.न. 89/354 (34) के किला न. 1, 10, 11, के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 3 बीघा लम्बा प्रत्येक किला में 0.013 हैक. रास्ते की आवश्यकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.08.21 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 की भूमि के प.न. 89/354 (34) के किला न. 1, 10, 11, के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 3 बीघा लम्बा प्रत्येक किला में 0. 013 हैक. की भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग करते है परन्तु उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में अकंन नही होने के कारण अप्रार्थी स. 1 ता 12 रास्ते के साथ छेडखानी कर फसल काश्त कर देते है वं प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि आने जाने से रोक देते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी स. 1 ता 12 को रास्ते के बदले कृषि भूमि लेकर या डी. एल. दर की

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

दुगुनी राशि लेकर प.न. 89/354 (34) के किला न. 1, 10, 11, के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 3 बीघा लम्बा प्रत्येक किला में 0.013 हैक. कृषि भूमि को रास्ता का अकंन करवाने को कहा तो अप्रार्थी स.1 ता 12 कुछ दिन तो आजकल – आजकल का कहकर टालमटोल करते रहे परन्तु आज से 1 सप्ताह पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत करवाने के अधिकारी है तथा इस रास्ता के बदले डीएलसी दर की दुगुनी राशि भुगतान करने या भूमि के बदले भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 को देने के लिए तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के हित परस्पर एक समान है लेकिन तरतीबी अप्रार्थीगण आज माननीय न्यायालय में उपस्थिति नही होने के कारण उन्हे बतौर तरतीबी अप्रार्थीगण संयोजित किया गया है यदि भविष्य में तरतीबी अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के साथ संयोजित होना चाहे तो प्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है ।

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो 2/–रूपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के प.न. 89/354(34) के किला न. 16 ता 25 की 2.024 हैक. में आने जाने हेतू अप्रार्थी स. 1 ता 12 के नाम तहसील पीलीबंगा कें चक 37 एनडीआर के प.न. 89/354 (34) के किला न. 1, 10, 11, के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 3 बीघा लम्बा प्रत्येक किला में 0.013 हैक. रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे व. इस रास्ता में आने वाली भूमि की मुआवजा स्वरूप डीएलसी दर की दुगुनी राशि का भुगतान करने या रास्ते की भूमि के बदले भूमि प्रार्थीगण से अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें । श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 2,3,4,6,7,8 व 11 की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता हाजिर वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी स. 2,4,6 ता 8,11 की ओर से निम्न प्रकार है कि–

यह प्रार्थना पत्र की मद स. 1 में वर्णित कथन सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार नही होने के कारण अस्वीकार है। यह प्रार्थना पत्र की मद स. 2 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम हो कथन ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है, प्रार्थीगण स्वय साबित करे। यह प्रार्थना पत्र की मद स 3 में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण व शेष अप्रार्थीगण से सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के खाता स.12/24 के प. न. 89/353 (25) के किला न. 16 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 की 2.405 हैक. व प. न. 89/354 (34) के किला न. 1 ता 15 की 3.795 हैक. इस प्रकार दोनो पत्थरों की कुल 6.200 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है स्वीकार है।

यह प्रार्थना पत्र की मद स. 4 में वर्णित कथन [illegible] प्रार्थना पत्र की मद स.2 में वर्णित कृषि भूमि के प.न. 89/354 (34) के किला न. [illegible] ता [illegible] की 2.024 हैक. में आने–जाने हेतू मिन अप्रार्थीगण व शेष अप्रार्थीग[illegible] वर्णित कृषि भूमि के प.न. 89/354 (34) के किला न. [illegible] दिशा में उतर से दक्षिण 3 बीघा लम्बा प्रत्येक किला में 0.013 है. रास्ते की कोई आवश्य[illegible] नही है न ही मौका पर उक्त रास्ता चालु है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.08.21 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

यह प्रार्थना पत्र की मद स.5 में वर्णित कथन असत्य मनढ़त होने के कारण अस्वीकार है, क्योकि प्रार्थीगण द्वारा मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के प.न. 89/354(34) के किला न. 1,

सहायक कलक्टर

10, 11, के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 3 बीघा लम्बा प्रत्येक किला में 0.013 हैक. की भूमि में रास्ते नही है न ही जिस कारण रास्ता का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा किया जाना किसी रूप में सम्भव नही है। प.न. 89/354 (34) के किला न. 1, 10, 11 में रास्ता कर दिया जाता है तो प्रार्थी आत्माराम को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ता नही लगेगा क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता हेतू अनुतोष चाहा गया उक्त कृषि भूमि के किला न.20 में प्रार्थी आत्माराम का नही है इसलिए मौका पर पश्चिम दिशा के उत्तर–दक्षिण के मध्य विद्युत विभाग की एक डी पी भी लगी हुई है वह प्रार्थी के खेत का आने के लिए प.न.89/354 के किला न. 16 व 25 के मध्य नहर से रास्ता लगता है इसलिए प्रार्थी किसी प्रकार का रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है, अप्रार्थी की भूमि किला न.1 में ढाणी बनी हुई है व टयुबैल लगा हुआ है। उक्त चक 37 एनडीआर के प.न.89/354 (34) के किला न. 1 ता 15 के सयुक्त खाता की कृषि भूमि में " माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश स.2, हनुमानगढ़ में अनवान राकेश कुमार बनाम हंसराज प्रकरण स. 73/2023 को वाद विचाराधि न है, जिसका नोट भी जमाबन्दी में दर्ज है जिस कारण उक्त रकबा विवादित है व स्थगन है इसके अतिरिक्त एक वाद श्रीमान् न्यायालय में भी जैरकार है, जिसका नोट जमाबन्दी में दर्ज है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष किसी रूप में प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त रास्ता बाबत् न तो कभी मिले और न ही मिन अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के प.न. 89/354 (34) के किला न. 16 ता 25 की 2.024 हैक. में आने जाने हेतू अप्रार्थी स. 1 ता 12 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के प.न. 89/354 (34) के किला न. 1, 10, 11, के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 3 बीघा लम्बा प्रत्येक किला में 0.013 हैक. रास्ता स्वीकृत बाबत् निवेदन किया। असत्य होने से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.6 में वर्णित कथन अविधिक असत्य होने के कारण अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीगण किला न.20 के काश्तकारान को पक्षकारान नही बनाया गया है इस कारण प्रार्थीगण को चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण की भूमि को नही लगता है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 7 में वर्णित कथन असत्य अविधिक होने के कारण अस्वीकार है उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

अप्रार्थी संख्या 14 ता 18 की और से श्री पवन डेनवाल अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा मय जवाब तरतीबी अप्रार्थीगण स.14 ता 18 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है कि यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.1 पते से सम्बधित होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.3 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स 5 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.6 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 7 स्वीकार है।

अतिरिक्त कथन – –

यह कि हम तरतीबी अप्रार्थीगण स.14 ता 18 व प्रार्थीगण ... ताउ – चाचा के बहन–भाई है व प्रार्थीगण 5 व 6 हम तरतीबी अप्रार्थीगण स. ... ता 18 के सगे भाई है। हमारा सजरा खानदान निम्न प्रकार से है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.08.21 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

यह कि हम तरतीबी अप्रार्थीगण स.14 ता 18 व प्रार्थीगण स. 1 ता 6, अप्रार्थीगण स.1 ता 12 के सयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 37 एनडीआर के प.न. 89/354(34) के किला न.1, 10, 11 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 3 बीघा लम्बा प्रत्येक किला में 0.013 हैक. भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में करते है।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

यह कि हम तरतीबी अप्रार्थीगण स.14 ता 18 व प्रार्थीगण स.5,6 ने प्रार्थीगण स.1 को भी अपने सयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 37 एनडीआर के प.न.89/354 (34) के किला न. 18 ता 20 के उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व को जाता हुआ प्रत्येक किला में 0.013 है. यानि 1 बिस्वा कृषि भूमि को रास्ता के रूप में उपयोग करने हेतू दे रखी है व प्रार्थीगण स.1 ने प्रार्थीगण स.3 व 4 को चक 37 एनडीआर के प.न.89/354 (34) के किला न. 17 के पश्चिम साईड में उतर से दक्षिण 0.013 है. यानि 1 बिस्वा कृषि भूमि रास्ते के रूप में उपयोग करने हेतू दे रखी है। रास्ता हमारे पूर्वजों द्वारा आपस में खाता विभाजन करते समय घरेलू मोखिक बंटवारा अनुसार तय किया गया था उसी अनुसार हम तरतीबी अप्रार्थीगण स.14 ता 18 व प्रार्थीगण स. 1 ता 6 उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

यह कि अप्रार्थीगण स.1 ता 12 के सयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 37 एनडीआर के प.न. 89/354(34) के किला न. 1, 10, 11 में रास्ता के रूप में दी जाने वाली भूमि कृषि हेतू ही उपयोग होती है। उसमें कोई भी ढाणी इत्यादी नही बनी हुई है। मात्र एक कच्ची आड हम तरतीबी अप्रार्थीगण स. 14 ता 18 व प्रार्थीगण की कृषि भूमि में सिंचाई के लिए बनी हुई है। उस सिंचाई आड के चिपते ही रास्ता मन्जूर किया जाता है तो कोई बाधा नही है।

यह कि हम तरतीबी अप्रार्थीगण स. 14 ता 18 व प्रार्थीगण स.5,6 की कृषि भूमि में लगी सिंचाई विद्युत कनैक्शन की डी.पी. रास्ते में नही लगती है व अप्रार्थीगण स. 1 ता 12 की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत होने पर हम तरतीबी अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण आपस में घरू बंटवारा अनुसार अपनी–अपनी कृषि भूमि में जाने हेतू आन्तरिक रास्ता तहसीलदार महोदय से परिवारीक समझोता अनुसार दर्ज करवा लेगें व उक्त रास्ता स्वीकृत होने के बाद हम सयुक्त खाते की काश्तकारान हम तरतीबी अप्रार्थीगण स. 14 ता 18 व प्रार्थीगण को रास्ते की कोई समस्या नही रहेगी। हम तरतीबी अप्रार्थीगण स. 14 ता 18 व प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही लगता है व न ही अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जावे। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

अप्रार्थी संख्या 1, 3,5,9,10,12 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुदा है। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 293 दिनांक 24.03.2025 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू नहीं है। प्रकरण में यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थीयान द्वारा चाहा गया रास्ता यदि स्वीकृत किया जाता है जो प्रार्थीगण के लिए रास्ता नहीं लगेगा क्योंकि उक्त पत्थर की 18 ता 20 नम्बर रकबा कमला देवी रामस्वरूप वगैरा का है जिससे आत्माराम को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होगा। प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट प्रकरण में चक 37 एनडीआर के प.न. 89/354 मु.न. 34 किला न. 1 ता 15 के संयुक्त खाता में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या 2 हनुमानगढ अनवान राकेश कुमार बनाम हंसराज प्रकरण 73/2023 का वाद विचाराधीन है जिसका नोट जमाबंदी में दर्ज है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का स्थगन विचाराधीन है।

Signature Not Verified

आदेश

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.08.21 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी ... गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रकरण में यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थीयान द्वारा चाहा गया रास्ता यदि स्वीकृत किया जाता है जो प्रार्थीगण के लिए रास्ता नहीं लगेगा क्योंकि उक्त पत्थर की 18 ता 20 नम्बर रकबा कमला देवी रामस्वरूप वगैरा का है जिससे आत्माराम को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होगा। प्रकरण मे मुताबिक रिपोर्ट प्रकरण में चक 37 एनडीआर के प.न. 89/354 मु.न. 34 किला न. 1 ता 15 के संयुक्त खाता में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या 2 हनुमानगढ अनवान राकेश

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

कुमार बनाम हंसराज प्रकरण 73/2023 का वाद विचाराधीन है जिसका नोट जमाबंदी में दर्ज है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का स्थगन विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने पर प्रार्थी को कोई अनुतोषि हासिल नहीं है इस लिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 9/7/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.08.21 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested